भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3705
25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

3705. डॉ. जयंत कुमार राय:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए बजटीय प्रावधान और वितरित की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 23 उत्कृष्ट टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से ज्ञात) को 6 संघ राज्य क्षेत्रों- अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख,

लक्षद्वीप तथा पुदुच्चेरी में प्रयोग (पायलट) के रूप में 15 अगस्त, 2020 आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों का विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड सृजित करने के लिए स्वास्थ्य इको-प्रणाली के भीतर स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का पारस्परिक आदान-प्रदान सक्षम बनाने वाले एक ऑनलाइन मंच का सृजन करके राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इको-प्रणाली की स्थापना करना है।

एबीडीएम के प्रायोगिक चरण का आरंभ 15 अगस्त, 2020 से सफलतापूर्वक किया गया था। एनडीएचएम की स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य व्यावसायी रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र रजिस्ट्री (एचएफआर) नामक तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां और डाटा के आदान-प्रदान के लिए डिजिटल अवसंरचना तैयार कर ली गई है और इन संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दी गई है। 27 सितंबर, 2021 को एबीडीएम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए जाने की घोषणा कर दी गयी है। आज की स्थिति के अनुसार, एबीडीएम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को 45 करोड़ रु. निर्गत किए गए हैं।

सरकार ने देश में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में और सुधार करने के लिए बजट 2022-23 में एक "राष्ट्रीय टेली- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" की घोषणा की है। इसमें 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के एक नेटवर्क की स्थपाना भी शामिल है।

भारत सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने तथा नागरिकों के लिए सुगम, वहनीय और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रः इन स्कीम के तहत राज्यों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक संबंधी व्यापक प्राथमिक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार लगभग 10.74 करोड़ गरीब और पिछड़े परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रू. तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान कराती है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम) का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाना है, जैसे रोग निदान हेतु एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, गहन परिचर्या पर ध्यान केन्द्रित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन और विस्तार करना तथा अनुसंधान संस्थानों को 5 वर्ष की अवधि हेतु 64,180 करोड़ रु. परिव्यय के साथ सहायता प्रदान करना।

******